

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

चतुर्भुज

बनाम शंकरलाल

अन्तर्गत

128 CR Act

कदमा

प्रार्थना पत्र

नं.

33

सन 2021

रीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/12/2021	<p>पत्रावली उद्घाटन गांवों के सगे आदिवासी 2021 के तहत गांव पर सख्त पहल पर आयोजित शिबिर में निष्पत्ति हेतु लगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने ग्राम बोजुन्दा पन्हो पहलवा स्थित आराजी संख्या 789 रकबा 1.3000 हे. भूमि की पत्थरगढी कराने का प्रारंभ किया है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सूची 2072-2075 अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी के नाम खेतदारी एक से दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 CR Act खीकार किया जाकर ग्राम बोजुन्दा पन्हो पहलवा स्थित प्रार्थी की खेतदारी आराजी संख्या 789 रकबा 1.3000 हे. भूमि की बिना किसी के कब्जे में दरख्तानाजी फिर सेलमेन्ट नम्बर अनुसार पत्थरगढी फिर जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 1000000 रु. अर्थात् एक हजार रु. प्रार्थी वहन करेगा।</p>	
2021 59	<p>पालनार्थ तहकीलदा चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पत्रावली में लिखित सूचना देकर निष्पत्ति पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर विनोद)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)